

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 339/2024 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)

टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 11<sup>th</sup> फ्लोर, टॉवर-ए, पेनिमुला विजनिंस  
पार्क, सेनापति बायट मार्ग, जोधर पारेल, मुंबई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सोमिनी मैथ्यू परनी सन्तोष के, जॉन,  
पता :- फ्लोट नं. जी-01, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 211 एवं 212, ममता पैराडाईज, फेज तृतीय, भगवती  
नगर, निवारु रोड, जयपुर,  
प्लॉट नं. की-56, संजय कॉलोनी, आरपीए रोड, नेहरू नगर, जयपुर  
एवं लेखरा हॉस्पिटल प्रा. लि., आई-टी-7, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।
2. सन्तोष के, जॉन पुत्र जॉन थॉमस,  
पता :- फ्लोट नं. जी-01, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 211 एवं 212, ममता पैराडाईज, फेज तृतीय, भगवती  
नगर, निवारु रोड, जयपुर,  
प्लॉट नं. की-56, संजय कॉलोनी, आरपीए रोड, नेहरू नगर, जयपुर  
एवं कमल डायमॉन्ड सेंटर, प्लॉट नं. डी-1/1, ग्राउण्ड फ्लोर, अक्षत एलीगेन्स, बिहारी मार्ग,  
एसबीबीजे बैंक के पास, बनीपार्क, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री हितेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 15.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक  
22.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सोमिनी मैथ्यू के स्वामित्व की  
संपत्ति प्लॉट नं. 211 एवं 212, ममता पैराडाईज, फेज तृतीय, भगवती नगर, निवारु रोड, जयपुर के  
ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित प्लॉट नं. जी-01, क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि  
18,15,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था  
को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को  
दिनांक 17.08.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण  
राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा  
14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने  
हेतु आवश्यक पुलिस हमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,15,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16,72,030/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सोमिनी मैथ्यू के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 211 एवं 212, ममता पैराडाईज, फेज तृतीय, भगवती नगर, निवारू रोड़, जयपुर के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट नं. जी-01, क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर